

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजस्व अपील संख्या 63/2024 अशोक बनाम श्रीमती पानकी</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>01.08.2024</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अति० जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर ने पत्र के माध्यम से बतलाया कि न्यायालय में विचाराधीन राजस्व अपील संख्या 74/2016 में न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.01.2017 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी/टीए/632/2017 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2023 सलग्न भेजकर लेख है कि उक्त पत्रावली की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अति० जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण को होने से प्रकरण आपको स्थानान्तरण किया जा रहा है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित। रैस्प० संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(सीमा कवित्री) अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)</p> <p>12/08/24 पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण अनुपस्थित। उभयपक्ष व अधिवक्तागत पेशी पर भी अनुपस्थित रहे। पत्रावली अदम जारी व अदम पेशी खारिज की जाती है। आदेश की उक्त अधिवक्ता न्यायालय को सिजवाई जावे। पत्रावली के सल सुमार डॉक्यू दायित्व रफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)</p>	

